निर्णय
27-01-2025

2025/54

फर्द अहकाम
(नियम 15)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ

अनिल चौधरी बनाम मंगलाराम आदि

वाद अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट प्रकरण संख्या 31 वर्ष 2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
16.01.2025	वकील वादी द्वारा यह वाद पत्र पेश किया गया। बाद कार्यालय टिप्पणी के वाद वादी दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सामान्य व रजिस्टर्ड सम्मन से तल्ब किया जाकर पत्रावली आईन्दा 24.01.2025 को पेश हो। [signature]	
20.1.2025	वकील वादी ने प्रार्थना-पत्र मिसल पेशी पेश करने पर पत्रावली को पेशी में लिया गया। वकला फरीकैन उपस्थित। मुंशी वादी क्र. 1 व 2 ने जरिये वकील [illegible] उपस्थित आज [illegible] दावा पेश किया जिसे शामिल फाईल किया गया। पत्रावली वास्ते स्टे जवाब कार्यवाही तारीख 24.01.2025 को पेश हो। [signature]	मंगलाराम पंकज क्र. 2 [signature] [illegible] Kamal
24.01.2025	वकला फरीकैन उपस्थित/PU [illegible] अनुपस्थित है। पत्रावली [illegible] वास्ते [illegible] दिनांक 27.01.2025 को पेश हो [signature]	
27.01.2025	वकला फरीकैन उपस्थित। बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड [illegible] के आधार वाद वादी [illegible] विवरण सहित निर्णय [illegible] जाकर शामिल फाईल किया गया। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील तामील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। [signature] सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar
Date: 2025.01.31 13:48:53 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई
अ.आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रिया संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर

पीठासीन अधिकारी :– श्री संजय कुमार आर.ए.एस.
मुकदमा संख्या :– 31/2025 अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट

अनिल चौधरी पुत्र मंगलाराम जाति जाट साकिन बुधवालिया तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

–वादी

बनाम

1. मंगलाराम पुत्र ख्यालीराम जाति जाट साकिन बुधवालिया तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
2. पंकज कुमार पुत्र मंगलाराम जाति जाट साकिन बुधवालिया तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) रावतसर।

–प्रतिवादीगण

उपस्थितः– श्री कृष्णकुमार वकील–वादी
श्री करणीसिंह प्रतिवादी सं. 1 व 2
राजपेरोकार प्रतिवादी सं. 3

निर्णय दिनांक– 27-1-2025

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ संजय कुमार आर.ए.एस. उपखण्डाधिकारी रावतसर के समक्ष उपरोक्त अभिभाषकगण की उपस्थिति में घोषणा की जाती है कि आराजी जरई चक 4 के.एम. के प0 न0 216/394 के किला न0 5/1 की 0.202 है0 5/2 की 0.0510 है0 गै0 मु0 खाला 6/1 की 0.228 है0 6/2 की 0.025 है0 गै0 मु0 खाला 15/1 की 0.228 है0 15/2 की 0.025 है0 गै0 मु0 खाला 16/1 की 0.228 है0 16/2 की 0.025 है0 गै0 मु0 खाला 25/1 की 0.228 है0 25/2 की 0.025 है0 गै0 मु0 खाला प0 न0 216/395 के किला न0 5, 6, 15, 16 की 1.012 है0 प0 न0 217/395 के किला नम्बर 20/2 की 0. 228 है0 कुल 2.5050 है0 भूमि के वादी व प्रतिवादी सं. 1 व 2 को ब हिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करेगें।

आज यह पर्चा डिक्री हमारे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 27-1-2025 को जारी की गई।

(संजय कुमार)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रावतसर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar
Date: 2025.01.31 13:48:53 IST
Reason: SelfAttested